# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 144/2019** **दायर दिनांकः 01/10/2019**

**उनवान**

1. चन्द्रमोहन आयु 33 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
2. कुलदीप आयु 21 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
3. चन्द्रकला आयु 35 वर्ष पुत्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
4. सावित्री आयु 26 वर्ष पुत्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज0) वादीगण

**बनाम**

1. रामगोपाल आयु 62 वर्ष बिशनलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

**प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट**

**उपस्थिति :—**

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

**आदेश** दिनाक : 23/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल हानीहेडा पटवार हल्का बरलां तहसील अटरू मे खाता संख्या 177 की ख0नं0 328 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 329 रकबा 2.09 है0, ख0नं0 552/769 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 557 रकबा 2.43 है0, ख0नं0 570 रकबा 0.33 है कुल 5 किता रकबा 5.04 है0 आराजी वादीगण के पिता रामगोपाल पुत्र बिशनलाल प्रतिवादी क्रम 1 के खाता दर्ज चली आ रही हैं। जिसके एक मात्र वारिस वादीगण हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णत आराजी पैतृक है जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पिता से विरासत मे प्राप्त हुई हैं। वादीगण के पिता की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का जन्म से अधिकार प्राप्त हैं। वादीगण के पिता उक्त वर्णित आराजी को कही रहन एवं बैचान करना चाहता है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। अगर वह ऐसा करते है

तो वादीगण के नैसर्गिक अधिकारो का हनन होगा। अतः वादीगण को अधिकार है कि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा समभाग खातेदार कृषक घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता हैं। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हैं। वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के पिता ने काश्त करने हेतु अलग अलग आराजी दे रखी हैं। लेकिन आराजी मे हमारा हिस्सा दर्ज नही होने से कृषि विकास कार्य, खाद बीज खरीदने व बैंक से ऋण प्राप्त करने आदि समस्याओ का सामना करना पडता है अतः वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णत आराजी मे संयुक्त रूप से समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज किया जावे। जसके हम अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है मामला मात्र नाम दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सी0पी0सी0 को नोटिस नही दिया गया हैं। वाद कारण वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी क्रम 1 से हमारा नाम खाते में संयुक्त रूप से दर्ज करने का मौखिक निवेदन के बावजूद भी नही करने पर व अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं।

अतः वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) यह कि वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान कया जावें।

(ब) यह कि अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की ओर निम्न ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है किः– वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 3 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं0 7 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी हैं। अनुतोष वादी स्वीकार हैं।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी 1 की ओर से ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावें।

वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा निम्न राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही है तथा प्रतिवादी के खाते आराजी में वादीगण को समभाग रूप से खातेदार कृषक घोषित करने में प्रतिवादी व वादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर दावा डिक्री फरमाने की कृपा करें तथा वादी क्रम 3 व 4 द्वारा हकत्याग पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में हमारा नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज होने के बाद हम चन्द्रकला, सावित्री अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का हकत्याग हमारे भाई वादी क्रम 1 व 2 चन्द्रमोहन व कुलदीप के पक्ष में करते व राजस्व रिकार्ड में हमारे हिस्से पर हमारे भाई वादी क्रम 1 व 2 चन्द्रमोहन व कुलदीप का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया जावें। जिसमें हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। वादीगण नियामानुसार हकत्याग पत्र की शुल्क माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमा करने के लिए तैयार है।

अतः माननीय न्यायालय में हकत्याग पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी क्रम 3 व 4 क्रमशः चन्द्रकला, सावित्री के हिस्से की आराजी पर वादी क्रम 1 व 2 चन्द्रमोहन व कुलदीप का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश व हक त्याग की शुल्क जमा करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान करने की कृपा करे।

पक्षकारान को सुना राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम हानीहेड़ा की खाता संख्या 177 की किता 5 रकबा 5.04 है0 जो प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है, वादीगण प्रतिवादी कम 1 के पुत्र पुत्री है, उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का जन्म से अधिकार निहित है।

राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

**—::क्रियात्मक आदेश::—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी ग्राम हानीहेड़ा की खाता संख्या 177 किता 5 रकबा 5.04 है0 में वादी कम 1 ल 4 व प्रतिवादी कम 1 को 1/5—1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी कम 3 व 4 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5—1/5 अपने भाई वादी कम 1 व 2 को हकत्याग कर देने से वादी कम 1 व 2 को हिस्सा 2/5—2/5 व प्रतिवादी कम 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट प्रतिवादी के खाते में दर्ज किया जावें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)**
**बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 144/2019**

**उनवान**

1. चन्द्रमोहन आयु 33 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
2. कुलदीप आयु 21 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
3. चन्द्रकला आयु 35 वर्ष पुत्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू
4. सावित्री आयु 26 वर्ष पुत्री रामगोपाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

**वादीगण**

**बनाम**

1. रामगोपाल आयु 62 वर्ष बिशनलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

**प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ............X................ रूबरू..............X..............................

**बहाजिर :–**

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .........................................................................X................................................

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम हानीहेड़ा की खाता संख्या 177 किता 5 रकबा 5.04 है0 में वादी क्रम 1 ल 4 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 3 व 4 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5–1/5 अपने भाई वादी क्रम 1 व 2 को हकत्याग कर देने से वादी क्रम 1 व 2 को हिस्सा 2/5–2/5 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट प्रतिवादी के खाते में दर्ज किया जावें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज ..................X...................... मुबालिक ................X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..............X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.12.2019 को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| **मुदई** | | **मुदालयह** | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**



Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.02.05 16:34:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: